

43. कमलेश पुत्री स्व. वलवीर सिंह पुत्र प्रभुदयाल जाति कुम्हार निवासी ढावां तहसील संगरिया
44. शंकुन्तलादेवी पुत्री स्व. वलवीर सिंह पुत्र प्रभुदयाल जाति कुम्हार निवासी ढावां तहसील संगरिया
45. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
46. जसवीर कौर पुत्री करतारसिंह जाति तरखान निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
47. महेन्द्र सिंह पुत्र रामरख जाति जाट निवासी ढावा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

डिक्री

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 30.01.2026

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वारंते इन्फिसाल कतई रुवरु हमारे वहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण गिन जागिन मुदई श्री संजय धारणियां प्रति.रां. 1 ता 5, 46 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार मु.अ.सु.रा.सु. सो प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

1. भगवानसिंह पुत्र करतारसिंह जाति तरखान सा. ढावा खातेदार प.न.207/141 मु.न. 57 किला नं. 4/0.253 हैं 7/0.228 हैं कुल 0.481 हैं नहरी
2. अमरजीतसिंह पुत्र करतारसिंह जाति तरखान सा. ढावा खातेदार प.न. 208/141 मु.न. 58 किला नं. 11,20/0.253 हैं प्र कुल 0.506 हैं नहरी
3. सावित्रीदेवी पत्नी वलवीरसिंह 0.365 हि, महावीर, बाबूलाल, पवनकुमार पि जागूराम 0.182 हि बहिव जाति कुम्हार सा. ढावा खातेदार प.न. 207/141 मु.न. 57 किला नं. 6/1/0.060 हैं 6/2/0.006 हैं 14/0.228 हैं 17/0.253 हैं कुल 0.547 हैं नहरी
4. कृष्णकुमार पुत्र प्रभूदयाल 0.349 हि, मायादेवी पत्नी प्रहलाद 0.187 हि, जाति कुम्हार सा. ढावा खातेदार प. न. 207/141 मु.न. 57 किला नं. 6/1/0.168 हैं, 6/2/0.019 हैं 15/1/0.228 हैं 15/2/0.025 हैं 16/1/0.088 हैं 16/2/0.008 हैं कुल 0.536 हैं नहरी
5. महेन्द्रसिंह पुत्र रामरख जाति जाट सा. ढावा खातेदार प.न. 207/141 मु.न. 57 किला नं. 7/0.023 हैं मिन 7/0.002 हैं गै.मु रास्ता 14/0.025 हैं मिन कुल 0.050 हैं नहरी मय गै.मु
6. जयप्रकाश, रामचन्द्र पि ख्यालीराम 0.136 हि, सुमित्रा पुत्री ख्यालीराम 0.069 हि, महेश्वरीदेवी पत्नी ख्यालीराम 0.136 हि, रानीदेवी पत्नी अनिरुद्ध, विपिनकुमार, जोन्टी बैनिवाल पि अनिरुद्ध बैनिवाल बहिव 0.069 हि जाति जाट सा. ढावा खातेदार प.न.207/141 मु.न. 57 किला नं. 16/1/0.140 है 16/2/0.017 हैं 25/1/0.228 हैं 25/2/0.025 हैं कुल 0.410 हैं नहरी
7. युगलसिंह पुत्र सतवीरसिंह जाति राजपूत सा. ढावा खातेदार फौत कब्जा वारिसान प.न. 208/141 मु.न. 58 किला नं. 12/0.253 हैं कुल 0.253 हैं नहरी

चक 6 बीजीपी-ए के खाता सं. 16/91 में कुल 0.253 हैं नहरी

1. महेन्द्रसिंह पुत्र रामरख जाति जाट सा. ढावा खातेदार प.न. 207/141 मु.न. 57 किला नम्बर 10/1/0.228 है 10/2/0.025 हैं गै.मु रास्ता कुल 0.253 हैं नहरी मय गै.मु

चक 6 बीजीपी-ए के खाता सं. 86/19 में कुल 1.012 हैं नहरी


1. कृष्णकुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति कुम्हार सा. ढावा खातेदार प.न.207/141 मु.न. 57 किला नं. 1/0.253 हैं
2. महेन्द्रसिंह पुत्र रामरख जाति जाट सा. ढावा खातेदार प.न.207/141 मु.न. 57 किला नं. 8/1/0.228 हैं 8/2/0.025 हैं गै.मु रास्ता 9/1/0.228 हैं 9/2/0.025 हैं गै.मु रास्ता 13/0.253 हैं कुल 0.759 हैं नहरी मय गै.मु

चक 1 डीएनजी के खाता सं. 14/10 में कुल 3.226 हैं नहरी

1. भगवानसिंह पुत्र करतारसिंह जाति तरखान सा. ढावा खातेदार प.न. 202 मु.न. 22 किला नं. 2/0.190 हैं 9,12/0.253 है प्र 19/0.253 हैं कुल 0.949 हैं नहरी 127
2. नक्षत्रसिंह पुत्र करतारसिंह जाति तरखान सा. ढावा खातेदार प.न. 202/128 मु.न. 25 किला नं. 3/1/0.228 हैं 3/2/0.025 हैं 8,13,18,23/0.253 हैं प्र कुल 1.265 हैं नहरी
3. अमरजीतसिंह पुत्र करतारसिंह जाति तरखान सा. ढावा खातेदार प.न. 202/127 मु.न. 22 किला नं. 17,18/0.253 है प्र 23/1/0.228 हैं 23/2/0.025 हैं 24/1/0.228 24/2/0.025 हैं कुल 1.012 हैं नहरी

महायुक्त कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया


अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/323 दिनांक 12.12.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।



नोट - तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

मुल्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कमिश्नर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया